दिनांक 07.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 12/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

प्रोन्नत पाये पुलिस अधिकारी की पिपिंग सेरेमनी का आयोजन

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 07.03.2025 को पुलिस मुख्यालय में प्रोन्नत पाये अपर पुलिस अधीक्षक की पिपिंग सेरेमनी में श्री आर0 के0 गौतम, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के जनसम्पर्क अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को नई रैंक का बैज लगाया गया। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रोन्नत पाये समस्त अपर पुलिस अधीक्षकों को शुभकामनाएं दी गयी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुये कहा कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन इसी प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ करते रहें।

इस अवसर पर पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थिरत रहे।

R.K.GAUTAM

R.K.GAUTAM

दिनांक 07.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 13/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय साइबर काइम जागरूकता कार्यशाला का किया गया शुभारम्भ

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा आज दिनांकः 07.03.2025 को पुलिस मुख्यालय स्थित अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में आयोजित 02 दिवसीय State Level Workshop on Cyber Crime & Cryptocurrency Investigation–2025 का दीप प्रज्जवलित कर शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक/महानिदेशक के जीएसओ सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि साइबर अपराध की रोकथाम तथा साइबर अपराधों की विवेचना में तीव्रता व गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से विभिन्न पोर्टलों, साइबर सम्बन्धी कानून व अधिनियम तथा Best Practices की जानकारी हेतु साइबर क्राइम मुख्यालय द्वारा उक्त प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें I4C MHA के साइबर विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

शुभारम्भ के दौरान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपने संबोधन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) के ए0सी0पी0 श्री जितेन्द्र कुमार एवं उनकी टीम व प्रदेश के समस्त कमिश्नरेट एवं जनपदों से आये साइबर के नोडल राजपत्रित अधिकारी, साइबर थाना प्रभारी व साइबर भिज्ञ कर्मियों का स्वागत करते हुये कहा कि आप अवगत हैं कि साइबर अपराध प्रबन्धन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु लगातार कार्य किये जा रहे हैं।

- **सर्व प्रथम वर्ष 2016 में 02 साइबर क्राइम पुलिस थाने लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में स्थापित किये गये, तत्पश्चात वर्ष 2020 में शेष 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम पुलिस थाने एवं वर्ष 2023 में शेष 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना** की गयी है।
- प्रत्येक जनपद में साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता हेतु प्रदेश के **1531 थानों पर साइबर हेल्प–डेस्क भी स्थापित** की गयी हैं।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साइबर वित्तीय अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु टोल फ्री नम्बर–1930 जारी किया गया है। **उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित 1930 कॉल सेन्टर 112 मुख्यालय में संचालित** है, शीघ्र ही इसका क्षमता **वृद्धिकरण करते हुए 30 सीटों का अलग कॉल सेन्टर भी संचालित किया जाना प्रकियाधीन** है।

➢ **112 मुख्यालय स्थित साइबर प्रशिक्षण लैब के साफ्टवेयर के नवीनीकरण का कार्य** प्रचलित है। शीघ्र ही प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। भविष्य में मुख्यालय, परिक्षेत्र एवं जनपद स्तर पर साइबर लैब स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

➢ साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में आम जन–मानस को साइबर अपराधों से जागरूक करने के लिये प्रत्येक माह के प्रथम बुद्धवार को साइबर जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। **पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर सम्बन्धी विभिन्न रूप से उपयोगी वेबसाइट, एक्स हैण्डिल तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यमों से जनजागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार** किया जा रहा है।

वर्ष 2022 में 10,473, वर्ष 2023 में 11,994 एवं वर्ष 2024 में 12,725 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। जैसे–जैसे नवीनतम तकनीकी प्रचलन में आयी साइबर अपराधियों द्वारा भी उनको अपराध करने में प्रयोग किया जाने लगा। वर्तमान में **साइबर अपराधी विदेशों में बैठकर फेक आईडी के मोबाइल सिम कार्डों/सोशल मीडिया एकाउण्ट तथा म्यूल बैंक खातों का प्रयोग कर वित्तीय साइबर अपराध करते हैं तथा वित्तीय साइबर अपराध में ठगी गयी धनराशि को क्रिप्टोकरेन्सी में परिवर्तित** कर अपने उपयोग में लिया जा रहा है, **जिसको ट्रैक कर पकड़ना बहुत जटिल कार्य** है। इन्हीं सब बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए साइबर क्राइम इकाई द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र/**I4C,** गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से समन्वय स्थापित कर प्रदेश की पुलिस के लिए 02 दिवसीय "State Level Workshop on Cyber Crime & Crypto Currency Investigation" का आयोजन किया गया है।

इस आयोजन में I4C के ACP श्री जितेन्द्र कुमार एवं उनकी टीम के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। मुझे आशा है कि आप लोग पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अपने अपने जनपदों में उक्त विषय पर TOT (Training of Trainers) के रूप में कार्य करते हुए साइबर क्राइम थानों एवं साइबर सेल के पुलिस कर्मियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। अन्त में मैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समर्पण भरा सहयोग देने के लिए I4C के अधिकारियों को पुनः धन्यवाद देता हूँ।

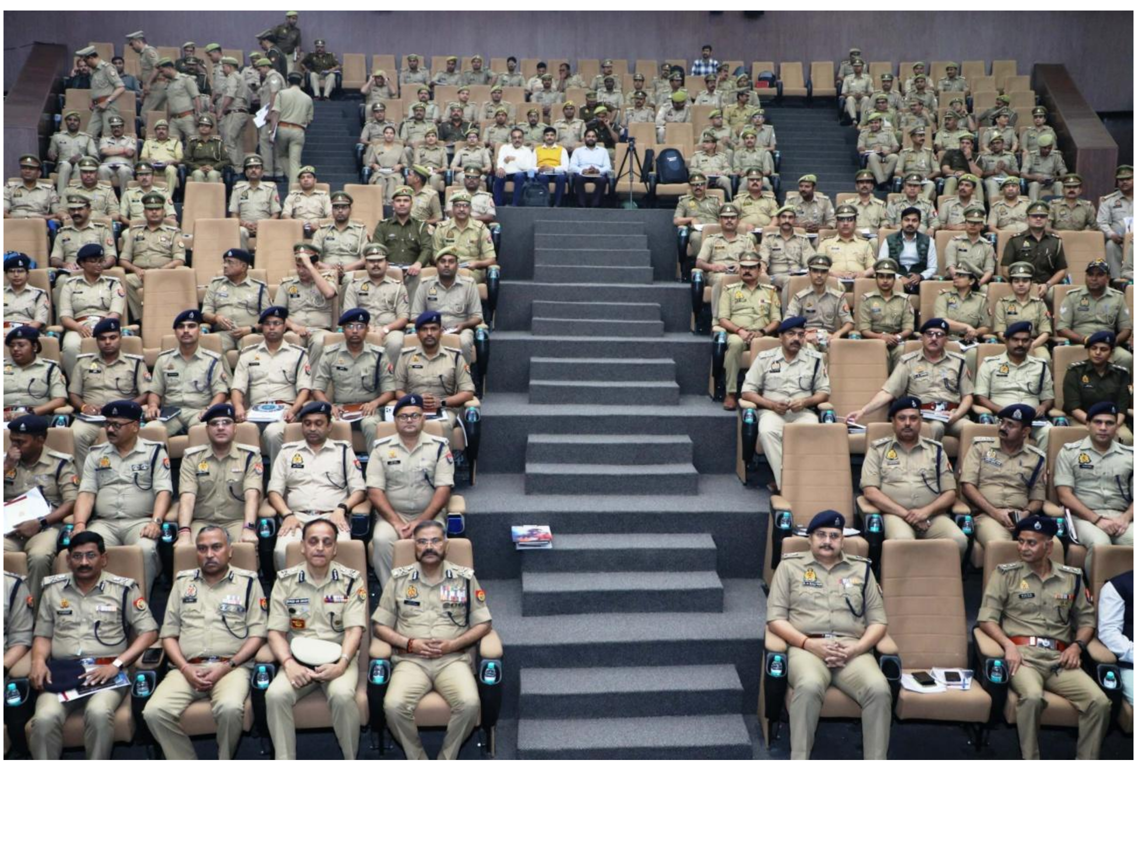

दिनांक 07.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 14/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निधन पर उनकी स्मृति में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांकः 07.03.2025 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में श्री इन्द्र भगत नेगी (आईपीएस–आरआर–1958) सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के दिनांकः 05.03.2025 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक–सभा का आयोजन किया गया।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारी को श्रद्वांजलि अर्पित की गयी।

श्री इन्द्र भगत नेगी जी का जन्म 31 अक्टूबर 1932 को हिमाचल प्रदेश के जनपद किन्नौर में हुआ था। श्री इन्द्र भगत नेगी वर्ष 1958 में ''भारतीय पुलिस सेवा'' में चयनित हुए। प्रशिक्षण के उपरान्त श्री नेगी, सहायक पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, पीटीसी मुरादाबाद, मा0 श्री राज्यपाल के परिसहाय, उप सेनानायक, द्वितीय वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के पदों पर नियुक्त रहे। यहीं से वर्ष 1963 में प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 1969 में प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक, जनपद खीरी, पुलिस अधीक्षक, नैनीताल एवं पुलिस अधीक्षक, कृषि सेल लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 1974 में पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये तथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुये आईटीबीपी, एसएसबी, उत्तर–पूर्व सीमान्त क्षेत्र(नेफा) अरूणाचल प्रदेश, सीआईएसएफ, नेशनल डिफेंस कालेज नई दिल्ली, पुलिस कमिश्नरेट दिल्ली एवं सीआरपीएफ एकेडमी माउन्ट आबू में नियुक्त रहे। प्रतिनियुक्ति पर रहते हुये श्री नेगी जी हिमाचल प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक बने और यहीं से अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर वर्ष 1990 में सेवानिवृत्त हुये। श्री इन्द्र भगत नेगी जी का दिनांकः 05.03.2025 को दुःखद निधन हो गया।

श्री इन्द्र भगत नेगी जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया। श्री इन्द्र भगत नेगी जी का 32 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा। श्री नेगी जी ने वर्ष 1988 में इन्टरपोल सम्मेलन के लिये दक्षिण–पूर्व एशिया में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया था। सेवाकाल के दौरान उन्हें ''दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक'' एवं विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक'' प्रदान किया गया। श्री इन्द्र भगत नेगी जी अपनी उक्त उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।

दिनांक 07.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 15/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 07.03.2025 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिलपता गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त ताजिम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे चोरी के 05 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड़, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ताजिम निवासी ग्राम कलछिना थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 05 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद गाजीपुर/थाना करंडा

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.03.2025 को थाना करंडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धरमपुर तिराहा पर चेकिंग के दौरान बदमा”ाों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमा”ाों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कमले”ा उर्फ छागुर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/नि”ाादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़, गाजीपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना करंडा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कमले”ा उर्फ छागुर निवासी बड़ागॉव थाना सादात जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

ए0एन0टी0एफ0/थाना गाजीपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 82 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 410 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **2030/रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 आधार कार्ड, 01 एटीएम कार्ड, 01 डीएल**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 06.03.2025 को ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर द्वारा सूचना के आधार पर मंगरखाई मोड़ के पास से अभियुक्त गजेन्द्र कुमार उर्फ बादल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/नि"ादेही से लगभग 82 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 410 ग्राम अवैध हेरोइन, 2030/–रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 आधार कार्ड, 01 एटीएम कार्ड, 01 डीएल, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना गहमर जनपद गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गजेन्द्र कुमार उर्फ बादल निवासी ग्राम जगदी"ापुर थाना मुफस्सिल जनपद बक्सर, बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 82 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 410 ग्राम अवैध हेरोइन।

2–2030/–रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 आधार कार्ड, 01 एटीएम कार्ड, 01 डीएल।

5–01 मोटर साइकिल।

जनपद हापुड़/थाना हाफिजपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 07.03.2025 को थाना हाफिजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हापुड़–बुलन्द”ाहर वाले हाईवे से बन्द पड़े भट्टे की ओर जाने वाले रास्ते से 03 अभियुक्तों 1–अंकित 2–पदम 3–सचिन को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बालअपचारी को पुलिस संरक्षरण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/नि”ाादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित निवासी ग्राम खेड़ा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

2–पदम निवासी ग्राम खेड़ा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

3–सचिन निवासी ग्राम खेड़ा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **55 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 65 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद**

दिनॉकः 06.03.2025 की रात्रि थाना रॉबर्ट्सगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वाराणसी–”ाक्तिनगर राज्य मार्ग पर बिहारी ढाबा के पास से 02 अभियुक्तों 1–जगदी”ा 2–बलजिन्दर सिंह उर्फ बावला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/नि”ाादेही 55 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 65 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जगदी"ा निवासी संगेड़ा थाना सिटी बरनाला, जनपद बरनाला, पंजाब।

2–बलजिन्दर सिंह उर्फ बावला निवासी संगेड़ा थाना सिटी बरनाला, जनपद बरनाला, पंजाब।

बरामदगी

1–55 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 65 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त ट्रक।

जनपद सोनभद्र/थाना चोपन

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 50 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद**

दिनॉकः 06.03.2025 को थाना चोपन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वाराणसी–"ाक्तिनगर राज्य मार्ग पर डाला चढाई के अन्दर जंगल से 02 अभियुक्तों 1–प्रकट सिंह उर्फ परगट सिंह 2–अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/नि"ादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 50 किलोग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना चोपन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रकट सिंह उर्फ परगट सिंह निवासी हरसिया दयालगढ बटाला, गुरदासपुर, पंजाब।

2–अजय कुमार निवासी ग्राम हसनपुर, समस्तीपुर, बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 50 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–02 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त ट्रक।

- **जनपद फतेहपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ 04 लाख 52 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद फतेहपुर पुलिस ने अभियुक्त मो0मोइन खान पुत्र इफ्तेखार खान निवासी सनगांव थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ 04 लाख 52 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद बिजनौर/थाना नूरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ओमपाल को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बांदा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/323 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अभिषेक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मीरजापुर/थाना जिगना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मीरजापुर द्वारा थाना जिगना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अरविन्द कुमार को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना खोराबार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना खोराबार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(2)/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नारद 2–पंचम को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–फर्जी फेसबुक एकाउन्ट बनाकर उस पर लाइफ टाइम केडिट कार्ड बनाने का ऑफर (लालच) देकर आम जनता के साथ साईबर ठगी करने वाले गैंग के 02 सकिय सदस्य मय लैपटाप, मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड डेबिड/केडिट कार्ड के साथ गजियाबाद से गिरफ्तार।

दिनांक 06–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को पष्चिमी उ0प्र0 में काफी दिनों से साईबर ठगी करने वाले गैंग के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, इसी क्रम में उपरोक्त अपराध करने वाले गैंग के 02 सक्रिय सदस्यों को मय लैपटाप, मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड डेबिड/क्रेडिट कार्ड के साथ कमिश्नरेट गजियाबाद से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1– नागेश राघव पुत्र श्री उमेश राघव निवासी ग्राम रूदरी थाना अरनियॉ जिला बुलन्दशहर उ0प्र0 हाल पता कालू सीमेन्ट चौराहा बन्दना विहार थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र–लगभग 30 वर्ष

2– पंकज पुत्र पुत्र स्वः श्री वेदप्रकाश सिंह निवासी ग्राम रूदरी थाना अरनियॉ जिला बुलन्दशहर उ0प्र0 हाल पता कालू सीमेन्ट चौराहा बन्दना विहार थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र–लगभग 26 वर्ष

<u>बरामदगीः–</u>

1– 01 अदद लैपटाप मय चार्जर।

2– 02 अदद आधार कार्ड।

3– 05 अदद सिम विभिन्न कम्पनियों की।

4– 10 अदद एटीएम/डेविड कार्ड/क्रेडिट कार्ड।

5– 01 अदद हीरो जाय राइड कार्ड।

6– 07 अदद मोबाइल एन्ड्राइड/कीपैड।

7– 01 अदद डीएल।

8– 01 अदद बोटर आईडी कार्ड।

9– 01 अदद पासबुक

10– रूपये 1070/–नकद

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–</u>

दिनांक 06–03–2025 समय 17.05 बजे कालू सीमेन्ट एजेन्सी चौराहा बन्दना बिहार थाना खोड़ा गाजियाबाद।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को काफी दिनों से यूपी पश्चिम/एनसीआर क्षेत्र में फर्जी फेसबुक एकाउन्ट बनाकर उस पर लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड बनाने का ऑफर (लालच) देकर आम जनता के साथ साईबर ठगी करने वाले गैंग की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 06–03–2025 को निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा, मु0आ0 दिनेश गौतम, मु0आ0 विमल कुमार, मु0आ0 अंकित गुप्ता की टीम भ्रमणशील थी। इसी दौरान सूचना मिली कि साईबर ठगी व लैपटाप/मोबाइल से लोगों को वेवकूफ बनाने वाले गैंग के 02 सदस्य कालू सीमेन्ट एजेन्सी चौराहा बन्दना बिहार थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद में खड़े है, जो कही जाने की फिराक में है। उक्त सूचना पर एसटीएफ टीम थाना खोड़ा पुलिस को साथ लेकर 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछतॉछ पर बताया कि हम लोग फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर उस पर लाईफ टाइम फ्री रूपये कार्ड्स के नाम से एडवटाइज डालते है, जिस पर कार्ड बनवाने के इच्छुक व्यक्ति अपना व शहर का नाम, मोबाइल नम्बर व आईडी भेजते है उक्त ऐप से हम लोग मोबाइल नम्बर निकाल कर रजिस्टर पर अंकित कर लेते है, व बारी–बारी से अपने फर्जी सिम नम्बरों से काल करते है, इच्छुक व्यक्ति से केडिट कार्ड के सम्बन्ध में बातचीत करते है तथा इससे पूर्व इनके पास मौजूद केडिट कार्ड के बारे में पूछते है यदि उनके पास पूर्व से केडिट कार्ड नही होता है, तो यह कहकर काल काट देते है, कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, यदि उनके पास पूर्व से केडिट कार्ड होता है, तो उनसे कहते है कि तुम्हारी वीडियो काल से केवाईसी होनी है तुम अपने केडिट कार्ड की फोटो/वीडियो भेजो तथा उनकी स्कीन शेयर करा लेते है, जिससे कार्ड का नम्बर हम लोगो को मिल जाता है साथ ही दूसरे नम्बर से अपने साथी जो जामतारा झारखण्ड में बैठा है, के मोबाइल से काल करके व केडिट कार्ड का फोटो भेज देते है। जिससे मेरा साथी फिलप कार्ड/मोबीक्विक ऐप से केडिट कार्ड से सामान खरीद लेते है व एकाउन्ट में पैसे ट्रांसपर कर लेते है हमने अभी दो पोको कम्पनी के मोबाइल फर्जी पते पर मगांये है नागेश ने बताया कि इससे पूर्व भी मैने अपनी फर्जी फेसबुक आईडी– Abhishekkumar, Praveen, manojkumar, Rahulsingh, manishkumar के नाम से बनायी थी जिन पर मैने Lifetime free rupay cardss के नाम से ऐड डाला था जो डिलीट कर दिये है वर्तमान में मेरी फेकआईडी Sirajkhan के नाम से चल रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खोड़ा गाजियाबाद में मु0अ0सं0 88/2025 धारा 318(4), बी0एन0एस0 व 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

——————